फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

सायलान :– गोपीसिंह पुत्र शिवकरणसिंह **बनाम** गैर सायलान :–भंवरीदेवी पत्नि भैंरूसिंह

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र मु.नं. 05 /सन 2019

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
1.2019	वकील सायल उपस्थित। वकील सायल ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध गै0सा0 अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सायलान एवं गै.सा.सं. संख्या 01 की खातेदारी/काश्तकारी की कृषि भूमि सरहद मौजा बस्सी उर्फ चेनपुरा पटवार हल्का सेवरिया तहसील जैतारण मे ख.नं. 91/1 रकबा 4–02 बीघा, ख. नं. 190 रकबा 2– 02 बीघा, कुल रकबा 6–04 बीघा भूमि आयी हुई हैं। गै.सा. द्वारा वाद कि लम्बित रहते उक्त भूमि का बिना बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाये बैचान किसी बैचान, हस्तान्तरण नही करें। सायलान अपने हक हिस्से की भूमि में काश्त के मुतालिक कुल कार्य करावें करें तो उसमें गै.सा. दखलदांजी नही करने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाकर पाबंन्द किये जाने की ईस्तदुआं की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस वकील सायल बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्ब प्रार्थना पत्र आज्ञा पारित किये जाने की ईश्तदुआं की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वकील सायल पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः उक्त आराजी में जवाब पेश होने तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै. सा. को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरुद्ध गै0 सा0 इस आशय की जारी की जाती हैं कि सायलान एवं गै.सा.सं. संख्या 01 की खातेदारी/काश्तकारी की कृषि भूमि सरहद मौजा बस्सी उर्फ चेनपुरा पटवार हल्का सेवरिया तहसील जैतारण मे ख.नं. 91/1 रकबा 4–02 बीघा, ख. नं. 190 रकबा 2– 02 बीघा, कुल रकबा 6–04 बीघा भूमि आयी हुई हैं। उक्त आराजी में जवाब पेश होने तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै. सा. को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। वकील सायल तलबाना / नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर गै0 सा0 को जरिये नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 26.02.2019 वास्ते जबाब प्रा0प0 पेश हो। SDO	28 9.1.19
25/1/19	मूल वाद के पत्रावली तलबी का प्रार्थना पेश होने से पत्रावली आज पेश हुई। वकील मय वादीगण द्वारा मूल वाद के प्रार्थना वाद विड्रोल रजिस्ट्री का पेश करते हैं लिहाजा का मूल वाद विड्रोल रजिस्ट्री की हुआ है। मूल वाद रजिस्ट्री होने से मय द्वारा प्रार्थना के कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहते अर्थात प्रभावहीन होने से लिहाजा का प्रार्थना रजिस्ट्री किया जाता है। पत्रावली कैंसल शुमार होकर नस्ती की जाती है। बाद मुकदमा जाब्ता दारिज दफ्तर लेखा भिजवाया जाता है। SDO	CG Sallhe CG Sallhe